



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1947 (श10)

(सं० पटना 1379) पटना, बुधवार, 13 अगस्त 2025

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

8 अगस्त 2025

सं० भू०नि०-01/2017(खण्ड-II)-4365/एम०—राज्यान्तर्गत जमुई जिला में मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) का एक ब्लॉक, रोहतास/कैमूर जिले में ग्लूकोनाइट (पोटाश) के चार ब्लॉक, रोहतास जिला में चूना-पत्थर का एक ब्लॉक, गया/औरंगाबाद जिले में क्रोमियम, निकेल तथा प्लैटिनम (तत्त्व समूह) का एक ब्लॉक, मुंगेर जिला में बॉक्साइट एवं विरल मृदा धातु का एक ब्लॉक तथा गया/जहानाबाद जिले में वेनेडियम युक्त मैग्नेटाइट-इलमेनाइट का एक ब्लॉक अर्थात् वृहत् खनिज के कुल 09 (नौ) खनिज ब्लॉक भारत सरकार द्वारा नीलामी के लिए राज्य सरकार को आवंटित किये गये थे। उक्त ब्लॉकों के नीलामी हेतु ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में “SBI कैपिटल मार्केट्स लि०” से एवं ‘ऑक्शन प्लेटफॉर्म’ के रूप में “मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉरपोरेशन लि०” की सेवा लिए जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-27.06.2023 को दी जा चुकी है। राज्यान्तर्गत खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के आलोक में महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी केन्द्र सरकार द्वारा कराया जाना है एवं अन्य ब्लॉक की नीलामी राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

2. वृहत् खनिज ब्लॉकों की नीलामी हेतु उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति उपरांत टेण्डर अप्रूवल कमिटी (TAC) गठित है, जिसमें अपर मुख्य सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव, वित्त विभाग या उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी, प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग या उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी, निदेशक, खान एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार शामिल हैं। साथ ही कमिटी में उप महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, बिहार इकाई भी शामिल हैं।

3. बिहार राज्य को आवंटित कुल 03 वृहत् खनिज के ब्लॉक (मजोस मैग्नेटाइट ब्लॉक, भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक एवं रोहतास जिले के भोरा-कटरा लाईम स्टोन ब्लॉक) के लिए अनुमानित आरक्षित मूल्य क्रमशः 3817.60 करोड़ रुपये, 511.91 करोड़ रुपये एवं 1761.42 करोड़ रुपये पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् ई-नीलामी हेतु फेज-1 की निविदा हेतु नोटिस इनवाइटिंग टेन्डर (NIT) दिनांक 31.07.2024 को आमंत्रित की गई। रोहतास जिले के भोरा-कटरा लाईम स्टोन ब्लॉक) के लिए नीलामी सफल रही एवं 02 खनिज ब्लॉक (मजोस मैग्नेटाइट ब्लॉक एवं भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक) की ई-नीलामी हेतु दिनांक 04.11.2024 को IPO (Initial Price Offer) खोला गया, जिसमें 03 से कम TQB (Technically Qualified Bidders) पाये जाने के कारण खान एवं भूतत्व विभाग के ऑक्शन एनलमेंट नोटिस दिनांक 11.11.2024 द्वारा मजोस मैग्नेटाइट ब्लॉक एवं भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक की निविदा प्रक्रिया को रद्द घोषित कर दिया गया।

4. मजोस मैग्नेटाइट ब्लॉक एवं भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक की पुनर्निविदा के संबंध में टेण्डर अप्रूवल कमिटी (TAC) की दिनांक 17.01.2025 को आयोजित बैठक में यह अनुशंसा प्राप्त है कि मजोस मैग्नेटाइट ब्लॉक (क्षेत्रफल 0.812 वर्ग किलोमीटर एवं संसाधन 48.4 मिलियन टन) एवं भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक (क्षेत्रफल 0.619 वर्ग किलोमीटर एवं संसाधन 6.49 मिलियन टन) दोनों खनिज ब्लॉक को एकीकृत कर संयुक्त मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक बनाया जाए। चूंकि दोनों ब्लॉक में एक ही अयस्क पाया गया है एवं दोनों की सीमा संयुक्त है, इसकी वजह से दोनों को एकीकृत किया जाय, तो खनन प्रक्रिया सुगम हो पायेगी। भंटा ब्लॉक में संसाधन कम होने के कारण निविदादाताओं के बीच कम लोकप्रिय है। साथ ही एकल खनिज ब्लॉक होने से संसाधन की क्षति कम होगी एवं डिमार्केशन की कठिनाइयों से बचा जा सकेगा।

5. दिनांक 19.06.2025 को टेण्डर अप्रूवल कमिटी (TAC) द्वारा जमुई जिलान्तर्गत मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) के मौजा-मजोस एवं भंटा संयुक्त (Combined) ब्लॉक की ई-नीलामी वृहत् खनिज ब्लॉक की नीलामी फेज-2 के तहत प्रथम प्रयास के अन्तर्गत कराने हेतु अनुमानित आरक्षित मूल्य (VER), भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आंकलित खनिज उपलब्धता एवं भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनिज के लिए जारी किये गये मूल्य के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है:-

ब्लॉक/खनिज/जिला का नाम	रिसोर्स (मिलियन टन में)	एक्सप्लोरेशन स्टेड्स	अनुमानित आरक्षित मूल्य (VER) (करोड़ ₹ में)
मजोस एवं भंटा/ मैग्नेटाइट (आयरन ओर)/ जमुई	54.89	G2 (मजोस ब्लॉक)/ G3 (भंटा ब्लॉक)	4325.76

6. अतएव खनिज नीलामी नियमावली, 2015 के नियम-2(1)(m) के तहत बिहार राज्य के जमुई जिलान्तर्गत मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) के मजोस एवं भंटा संयुक्त (Combined) ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए उपरोक्त कंडिका-5 में टेण्डर अप्रूवल कमिटी द्वारा भारतीय खान ब्यूरो से जारी अद्यतन औसत विक्रय मूल्य (ASP) के आधार पर अनुशंसित, अनुमानित आरक्षित मूल्य (Value of Estimated Resource) की स्वीकृति दी जाती है।

7. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1379-571+100-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>